पीएलआईएस और एफपीआई श्रेणी I पर पूछे जाने वाले प्रश्न

(दिनांक 17.05.21 को उद्योग की बातचीत आधार पर) (26.05.2021)

1. यदि आवेदक किसी विशेष वर्ष में बिक्री में सीएजीआर को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, तो क्या आवेदक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकता है जो बाद के वर्ष में छोड़ दिया गया था यदि बिक्री में कमी आगामी वर्षों में पूरी की जाती है ?
2. किस तारीख को, संविदा निर्माता के साथ संविदा पर विचार किया जाएगा?
3. प्राथमिक आवेदक के लिए विभिन्न सहायक कंपनियों और संविदा निर्माताओं से बिक्री विवरण कौन प्रमाणित करेगा?
4. यदि कोई कंपनी दो अथवा दो से अधिक श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन करने की इच्छुक है, तो क्या दोनों के लिए अलग-अलग निवेश मानदंड पूरा करने की आवश्यकता है या उच्च निवेश वाला एक दोनों के लिए पर्याप्त होगा?
5. यदि वर्ष 2021 में चालू होने वाली किसी परियोजना के लिए निवेश वर्ष 2019 अथवा 2020 में पहले किया जाता है, तो क्या वह निवेश योग्य होगा?
6. क्या आवेदक के बिक्री विवरण को एक साथ दर्शाया जाना चाहिए अथवा सहायक कंपनियों / संविदा निर्माताओं के संदर्भ में मूल कंपनी का ब्रेकअप दिखाया जाना चाहिए?
7. क्या संविदा निर्माता / सहायक कंपनी द्वारा की गई बिक्री सीधे की जा सकती है अथवा यह अनिवार्य रूप से आवेदक कंपनी के माध्यम से की जानी चाहिए?
8. यदि कोई तीसरा पक्ष कच्चा माल प्रदान कर रहा है, और संविदा निर्माता इसे तैयार उत्पाद में परिवर्तित कर रहा है तो संविदा निर्माण के लिए क्या रूपांतरण व्यवसाय की भी अनुमति दी जाएगी?
9. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आवेदक को न्यूनतम 5 % और अधिकतम 25 % प्रोत्साहन दिया जाएगा । क्या इसका अर्थ यह है कि हर फर्म जो पात्र है और अपेक्षित मानदंडों को पूरा करती है, तो उसे निश्चित रूप से न्यूनतम प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए?
10. ब्रांडिंग और विपणन के लिए प्रोत्साहन भारत अथवा विदेश में की जाने वाली ऐसी गतिविधियों के लिए होगा?
11. आवेदक अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से आवेदन कर रहा है, लेकिन एक अवधि के बाद सभी उत्पाद श्रेणियों को मिलाकर आवेदक के साथ सहायक कंपनियों का विलय कर दिया जाएगा। क्या विलय से कोई समस्या होगी?
12. क्या ईटीपी को निवेश में शामिल किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी के भाग के रूप में गिना जाएगा?
13. क्या कोल्ड स्टोरेज, सोलर पावर प्लांट में निवेश को निवेश में शामिल किया जाएगा?
14. क्या ताजी ब्रेड को पीएलआईएस में शामिल किया जाएगा?
15. क्या वृद्धिशील बिक्री केवल वृद्धिशील निवेश से अथवा मौजूदा निवेश से भी बिक्री को कवर करेगी?
16. क्या प्रमोटर होल्डिंग समूहों को उनकी संयुक्त बिक्री और निवेश का उपयोग करके प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए जोड़ा जा सकता है?
17. क्या घी / मक्खन को पात्रता मानदंड को पूरा करने पर विचार किया जाएगा?
18. यदि किसी वर्ष बिक्री पर सीएजीआर छूट जाता है, तो क्या कोई जुर्माना है?
19. क्या प्रतिबद्ध निवेश में 5-10% विचलन की अनुमति दी जा सकती है?
20. क्या हमें किसी मौजूदा यूनिट पर किए गए किसी भी निवेश के लिए एक अलग खाता बनाए रखने की आवश्यकता है?
21. क्या कच्चा माल इकट्ठा करने के लिए लगाए गए वाहनों को पूंजीगत व्यय के रूप में गिना जाएगा?

1. यदि आवेदक किसी विशेष वर्ष में बिक्री में सीएजीआर को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, तो क्या आवेदक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकता है जिसे बाद के वर्ष में छोड़ दिया गया था यदि बिक्री में कमी निम्नलिखित वर्षों में की जाती है?

नहीं, इस योजना के तहत इसकी अनुमति नहीं है। यदि एक चयनित आवेदक बिक्री में अपेक्षित सीएजीआर प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो आवेदक उस वर्ष के लिए किसी भी प्रोत्साहन का हकदार नहीं होगा।

2. किस तारीख को संविदा निर्माता के साथ संविदा पर विचार किया जाएगा?

संविदा निर्माताओं को आवेदक द्वारा नामांकित किया जाना चाहिए और आवेदन जमा करने के समय से लागू होगा। तथापि पीएमए / एमओएफपीआई को सूचित करने के बाद समय के साथ संविदा निर्माताओं को जोड़ा जा सकता है।

3. प्राथमिक आवेदक के लिए विभिन्न सहायक कंपनियों और संविदा निर्माताओं से बिक्री विवरण कौन प्रमाणित करेगा?

योजना दिशानिर्देशों के खंड 16.8 के अनुसार आवेदक को प्रत्येक दावे के साथ बिक्री की गणना एक कंपनी के मामले में एक सांविधिक लेखा परीक्षक और स्वामित्व, साझेदारी फर्म और एलएलपी के मामले में स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

4. यदि कोई कंपनी दो अथवा दो से अधिक श्रेणियों के अंतर्गत आवेदन करने की इच्छुक है, तो क्या दोनों के लिए अलग-अलग निवेश मानदंड पूरा करने की आवश्यकता है या उच्च निवेश वाला एक दोनों के लिए पर्याप्त होगा?

विभिन्न खंडों (परिशिष्ट ख) के लिए आवेदन करने के इच्छुक आवेदकों को प्रत्येक उत्पाद खंड के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक खंड के लिए न्यूनतम बिक्री और निवेश मानदंडों को पूरा करना होगा।

5. यदि वर्ष 2021 में चालू होने वाली किसी परियोजना के लिए निवेश वर्ष 2019 अथवा 2020 में पहले किया जाता है, तो क्या वह निवेश योग्य होगा?

वर्ष 2020-21 में किया गया निवेश पात्र होगा। इससे पहले किए गए किसी भी निवेश को न्यूनतम और प्रतिबद्ध निवेश के लिए नहीं गिना जाएगा।

6 क्या आवेदक के बिक्री विवरण को एक साथ दर्शाया जाना चाहिए अथवा सहायक कंपनियों / संविदा निर्माताओं के संदर्भ में मूल कंपनी का ब्रेकअप दिखाया जाना चाहिए?

हां, आवेदक (इसके संविदा निर्माताओं सहित) और सहायक कंपनियों द्वारा बिक्री का विवरण अलग से प्रस्तुत करना अपेक्षित है। तथापि, मूल्यांकन आवेदक और उसकी सहायक कंपनियों की संयुक्त बिक्री पर आधारित होगा।

7. क्या संविदा निर्माता / सहायक कंपनी द्वारा की गई बिक्री सीधे की जा सकती है अथवा यह अनिवार्य रूप से आवेदक कंपनी के माध्यम से की जानी चाहिए?

अनुबंध निर्माण के मामले में, तैयार उत्पादों की बिक्री आवेदक कंपनी की बिक्री का एक भाग होना चाहिए और आवेदक की पुस्तकों में परिलक्षित होना चाहिए। तथापि एक सहायक के मामले में, यह शर्त नहीं है, और उनकी बिक्री को आवेदक की पुस्तकों से गुजरने की आवश्यकता नहीं है।

8. यदि कोई तीसरा पक्ष कच्चा माल प्रदान कर रहा है, और संविदा निर्माता इसे तैयार उत्पाद में परिवर्तित कर रहा है तो संविदा निर्माण के लिए क्या रूपांतरण व्यवसाय की भी अनुमति दी जाएगी?

संविदा निर्माता को इनपुट के प्रावधान/आपूर्ति का मामला आवेदक के अधिकार क्षेत्र में आता है।

9. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि आवेदक को न्यूनतम 5 % और अधिकतम 25 % प्रोत्साहन दिया जाएगा । क्या इसका अर्थ यह है कि हर फर्म जो पात्र है और अपेक्षित मानदंडों को पूरा करती है, तो उसे निश्चित रूप से न्यूनतम प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए?

श्रेणी-। के लिए पीएलआईएस एफपीआई बड़ी कंपनियों के लिए है। इस श्रेणी में घरेलू अग्रणी में से वैश्विक चैंपियन बनाने का विचार है। इस योजना के तहत कुल परिव्यय 10,900 करोड़ रूपए है। मंत्रालय के लिए कंपनी का चयन करने के लिए न्यूनतम 5% और अधिकतम 25% प्रोत्साहन बाहरी सीमाएं हैं। इसलिए, प्रत्येक श्रेणी के तहत चुने जाने वाले आवेदकों की संख्या के लिए निर्णय एमओएफपीआई के पास रहता है और तदनुसार प्रोत्साहन का निर्णय लिया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए सभी पात्र खिलाड़ियों की जानकारी एकत्र की जाएगी और आवेदकों की संख्या, परिव्यय आदि के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट न्यूनतम और अधिकतम के अधीन सब्सिडी को उचित रूप से सीमित किया जाएगा। तथापि फल और सब्जी खंड में आवेदक के लिए न्यूनतम 5% प्रोत्साहन के इस मानदंड में एमओएफपीआई द्वारा छूट दी जा सकती है।

10. ब्रांडिंग और विपणन के लिए प्रोत्साहन भारत अथवा विदेश में की जाने वाली ऐसी गतिविधियों के लिए होगा?

प्रोत्साहन केवल विदेशों में किए गए बी एंड एम गतिविधियों के लिए लागू होंगे।

11. आवेदक अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से आवेदन कर रहा है, लेकिन एक अवधि के बाद सभी उत्पाद श्रेणियों को मिलाकर आवेदक के साथ सहायक कंपनियों का विलय कर दिया जाएगा। क्या विलय से कोई समस्या होगी?

चूंकि सहायक कंपनी को एक विशिष्ट उत्पाद खंड के लिए आवेदन करने वाले आवेदक के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है, मूल कंपनी के साथ विलय के बाद योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बशर्ते विलय के कारण अन्य योजना प्रावधानों का उल्लंघन न हो। हालांकि, आवेदन करते समय आवेदक को पूरा विवरण प्रस्तुत करना होगा कि वे क्या करने का इरादा रखते हैं।

12. क्या ईटीपी को निवेश में शामिल किए जाने वाले संयंत्र और मशीनरी के भाग के रूप में गिना जाएगा?

हां, ईटीपी को शामिल किया जाएगा बशर्ते कि यह योजना के तहत कवरेज के लिए लागू खाद्य उत्पादों के निर्माण के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश का एक भाग है और दिशानिर्देशों के खंड 6.3 में निर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन है।

13. क्या कोल्ड स्टोरेज, सोलर पावर प्लांट में निवेश को निवेश में शामिल किया जाएगा?

स्टैंडअलोन उपकरणों में निवेश जो क्षमता वृद्धि में लाभ नहीं देता है, उसे शामिल नहीं किया जाएगा। मौजूदा विनिर्माण लाइन/सुविधा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए निवेशों को शामिल किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज में निवेश को पात्र निवेश के रूप में शामिल करने के लिए समग्र निवेश योजना

के एक एकीकृत घटक में होना चाहिए। सौर ऊर्जा संयंत्र में निवेश नए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के 20% की कुल सीमा के साथ संबद्ध अवसंरचना का एक भाग होगा।

14. क्या ताजी ब्रेड को पीएलआईएस में शामिल किया जाएगा?
नहीं, ताजा ब्रेड पीएलआईएस में शामिल नहीं है।

15. क्या वृद्धिशील बिक्री केवल वृद्धिशील निवेश से अथवा मौजूदा निवेश से भी बिक्री को कवर करेगी?
यह मौजूदा निवेश से बिक्री को भी कवर करेगा।

16. क्या प्रमोटर होल्डिंग समूहों को उनकी संयुक्त बिक्री और निवेश का उपयोग करके प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए जोड़ा जा सकता है?
कोई भी दो संस्थाएं अपने आवेदन को एक साथ नहीं जोड़ सकतीं, जब तक कि उनमें से एक दूसरे की सहायक कंपनी न हो। केवल एक सहायक आवेदन को मूल आवेदक के साथ जोड़ा जा सकता है।

17. क्या घी / मक्खन को पात्रता मानदंड को पूरा करने पर विचार किया जाएगा?
पात्रता मानदंड (परिशिष्ट-क) को पूरा करने के लिए आवेदक के 2019-20 में सभी खाद्य उत्पादों की बिक्री पर विचार किया जाएगा।

18. यदि किसी वर्ष बिक्री पर सीएजीआर छूट जाता है, तो क्या कोई जुर्माना है?
नहीं, कोई जुर्माना नहीं है, लेकिन उस वर्ष के लिए कोई प्रोत्साहन देय नहीं है।

19. क्या प्रतिबद्ध निवेश में 5-10% विचलन की अनुमति दी जा सकती है?
निवेश में नीचे की ओर विचलन की अनुमति नहीं है।

20. क्या हमें किसी मौजूदा यूनिट पर किए गए किसी भी निवेश के लिए एक अलग खाता बनाए रखने की आवश्यकता है?
हाँ। इसके लिए रिकॉर्ड अलग से बनाए रखा जाना चाहिए ताकि किया गया निवेश प्रमाण करने योग्य हो।

21. क्या कच्चा माल इकट्ठा करने के लिए लगाए गए वाहनों को पूंजीगत व्यय के रूप में गिना जाएगा?
नहीं। संयंत्र और मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य और संबद्ध अवसंरचना में निवेश केवल योजना के तहत कवर किया गया है।

*****